रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11042023-245097
CG-DL-E-11042023-245097

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1615] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 11, 2023/चैत्र 21, 1945
No. 1615] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 11, 2023/CHAITRA 21, 1945

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 2023

का.आ. 1694(अ).—जबकि, सेवाओं या लाभों या सब्सिडियों की प्रदायगी के लिए पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का प्रयोग सरकारी वितरण प्रक्रियाओं को सरल बनाता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है, और लाभार्थियों को सुविधाजनक और निर्बाध तरीके से उनकी हकदारियों को हासिल करने में सक्षम बनाता है और आधार किसी की पहचान साबित करने के लिए कई दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता को समाप्त करता है;

और जबकि, भारत सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (इसके बाद मंत्रालय के रूप में संदर्भित) किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का 2) में स्वीकार किए गए बच्चों के लिए राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर सेवा वितरण संरचनाओं का सुरक्षा जाल तैयार करने के साथ ही संस्थागत और गैर-संस्थागत देखभाल के माध्यम से बच्चों को पुनर्वास और सामाजिक पुन:एकीकरण प्रदान करने के उद्देश्य से केंद्रीय प्रायोजित स्कीम, मिशन वात्सल्य स्कीम - पूर्ववर्ती बाल संरक्षण सेवा स्कीम (इसके बाद स्कीम के रूप में संदर्भित) का संचालन कर रहा है, जिसे राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों (इसके बाद कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में संदर्भित) के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है;

और जबकि, स्कीम के तहत सेवाओं का प्रावधान है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ वे लाभ शामिल हैं जिनमें या तो नकद में कर्मचारियों का वेतन शामिल है या स्कीम और उसके तहत जारी किए गए मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का 2) के दायरे में आने वाले देखभाल और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों की देखभाल, उपचार, पोषण, कपड़े, बिस्तर, दैनिक जरूरतों, मनोरंजन और ऐसी ही जरूरतों (इसके बाद लाभार्थियों के रूप में संदर्भित) के लिए बच्चों का स्थापन शामिल है;

और जबकि, स्कीम के कार्यान्वयन में भारत की संचित निधि से किया गया आवर्ती व्यय शामिल है;

अतएव, अब, केंद्रीय सरकार आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडियों, लाभों और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) की धारा 7 के अनुसरण में और पूर्ववर्ती बाल संरक्षण सेवा स्कीम की अधिसूचना संख्या का.आ. 620(अ), दिनांक 23 फरवरी, 2017 (कर्मचारियों का वेतन), अधिसूचना संख्या का.आ. 6110(अ) दिनांक 11 दिसंबर, 2018 (प्रायोजन) और अधिसूचना संख्या का.आ. 6110(अ) 11 दिसंबर, 2018 (वस्तु रूप में) के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पहले की गई या छोड़ी गई चीजों को छोड़कर, एतद्वारा निम्नलिखित को अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

1. स्कीम के तहत लाभ प्राप्त करने के इच्छुक प्रत्येक लाभार्थी को आधार नंबर का प्रमाण प्रस्तुत करना या आधार प्रमाणीकरण कराना होगा।
2. स्कीम के तहत लाभ प्राप्त करने के इच्छुक किसी पात्र लाभार्थी, जिसके पास आधार नंबर नहीं है या उसने आधार नंबर के लिए नामांकन नहीं कराया है, को अपने माता-पिता या संरक्षकों की सहमति से (बाल लाभार्थियों के मामले में) आधार नामांकन के लिए आवेदन करना अपेक्षित होगा, बशर्ते वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार प्राप्त करने का हकदार हो और ऐसे बच्चे आधार हेतु नामांकन कराने के लिए किसी भी आधार नामांकन केंद्र [सूची भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की वेबसाइट **www.uidai.gov.in** पर उपलब्ध] पर जा सकते हैं;
3. आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, मंत्रालय को अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से उन लाभार्थियों के लिए नामांकन सुविधाएं प्रदान करना अपेक्षित है जिन्होंने अब तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है और यदि संबंधित ब्लॉक या तालुका या तहसील में कोई आधार नामांकन केंद्र स्थित नहीं है, तो मंत्रालय या विभाग अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के मौजूदा रजिस्ट्रारों के समन्वय में सुविधाजनक स्थानों पर नामांकन सुविधाएं प्रदान करेगा या स्वयं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण रजिस्ट्रार बनकर आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान कर सकता है:

बशर्ते कि किसी लाभार्थी को आधार सौंपे जाने तक, ऐसे लाभार्थी को निम्नलिखित पहचान दस्तावेज प्रस्तुत करने पर स्कीम के तहत लाभ दिया जाएगा, अर्थात :-

I: अठारह वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए :

(क). (i) यदि लाभार्थी का पांच वर्ष की आयु के बाद नामांकन किया गया (बायोमेट्रिक संग्रह के साथ) था, तो उसकी आधार नामांकन पहचान पर्ची, या बायोमेट्रिक अपडेट पहचान पर्ची -,

(ii) लाभार्थी द्वारा आधार नामांकन के लिए किए गए अनुरोध की एक प्रति; और

(ख). लाभार्थी के निम्नलिखित पहचान दस्तावेजों में से कोई एक, अर्थात् :—

(i) जन्म प्रमाणपत्र या उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म का रिकॉर्ड; या

(ii) स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित स्कूल पहचान-पत्र, जिसमें माता-पिता के नाम हों; और

(ग). मौजूदा स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार माता-पिता या कानूनी अभिभावक के साथ लाभार्थी के संबंध के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक, अर्थात्:

(i) जन्म प्रमाण पत्र; या उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म का रिकॉर्ड; या

(ii) राशन कार्ड; या

(iii) भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य स्कीम कार्ड; या कर्मचारी राज्य बीमा निगम कार्ड; या केंद्र सरकार स्वास्थ्य स्कीम कार्ड; या

(iv) पेंशन कार्ड; या

(v) सेना का कैंटीन कार्ड; या

(vi) कोई भी सरकारी परिवार पात्रता कार्ड; या

(vii) मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज

II: अठारह वर्ष से अधिक आयु के लाभार्थियों के लिए:

(क). यदि उसने नामांकन कराया है, तो उसकी आधार नामांकन पहचान पर्ची, और

(ख). निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक, अर्थात्:

(i) फोटो सहित बैंक या डाकघर पासबुक, या

(ii) पैन कार्ड, या

(iii) पासपोर्ट, या

(iv) राशन कार्ड, या

(v) मतदाता पहचान पत्र, या

(vi) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 कार्ड, या

(vii) किसान फोटो पासबुक, या

(viii) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के तहत लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा जारी ड्राइविंग लाइसेंस, या

(ix) किसी राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा आधिकारिक लेटर हेड पर जारी किए गए ऐसे व्यक्ति की फोटो युक्त पहचान का प्रमाणपत्र, या

(x) विभाग द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज

बशर्ते कि उपरोक्त दस्तावेजों की जांच मंत्रालय द्वारा विशेष रूप से उस उद्देश्य के लिए नामित अधिकारी द्वारा की जाएगी।

4. लाभार्थियों को स्कीम के तहत सुविधापूर्ण तरीके से लाभ प्रदान करने के लिए, मंत्रालय अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से यह सुनिश्चित करने की सभी आवश्यक व्यवस्था करेगा कि लाभार्थियों को स्कीमों के तहत आधार की जरूरत के बारे में जागरूक करने के लिए मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाए।

5. लाभार्थियों के खराब बायोमेट्रिक्स के कारण या किसी अन्य कारण से आधार प्रमाणीकरण विफल हो जाने पर, निम्नलिखित उपचारात्मक तंत्र को अपनाया जाएगा, अर्थात्- :

(क). फिंगरप्रिंट की खराब गुणवत्ता के मामले में, प्रमाणीकरण के लिएआईरिस स्कैन या फेस ऑथेंटिकेशन सुविधा अपनाई जाएगी, और मंत्रालय अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से आईरिस स्कैनर या फ़िंगर ऑथेंटिकेशन सहित फेस ऑथेंटिकेशन से निर्बाध तरीके से लाभ के वितरण की व्यवस्था करेगा;

(ख). फिंगरप्रिंट या आईरिस स्कैन या फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण सफल नहीं होने पर, जहां भी संभव और स्वीकार्य हो आधार वन टाइम पासवर्ड या टाइम-बेस्ड वन टाइम पासवर्ड द्वारा सीमित समय वैधता सहित मान्य प्रमाणीकरण, जैसी भी स्थिति हो, की व्यवस्था की जाएगी;

(ग). उन सभी अन्य मामलों में जहां बायोमेट्रिक या आधार वन टाइम पासवर्ड या टाइम-बेस्ड वन टाइम पासवर्ड प्रमाणीकरण संभव नहीं है, स्कीम के तहत लाभ भौतिक आधार पत्र के आधार पर दिया जा सकता है जिसकी प्रामाणिकता आधार पत्र पर मुद्रित त्वरित प्रतिक्रिया (क्यूआर) कोड द्वारा सत्यापित की जा सकती है और मंत्रालय द्वारा अपनी कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा सुविधाजनक स्थानों पर क्यूआर कोड रीडर की आवश्यक व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी।

6. यहां ऊपर निहित किसी भी बात के बावजूद, किसी भी बच्चे को प्रमाणीकरण के माध्यम से अपनी पहचान स्थापित करने में विफल रहने, या आधार नंबर होने का प्रमाण प्रस्तुत करने में विफल होने पर, या ऐसे बच्चे के मामले में, जिसे कोई आधार नंबर नहीं दिया गया है, स्कीम के तहत् लाभों से वंचित नहीं किया जाएगा, ऐसे बच्चों को नामांकन के लिए आवेदन प्रस्तुत करते हुए, पैरा 3 के उप-पैरा (1) के खंड (ख) और (ग) के तहत उपलब्ध कराए गए अन्य दस्तावेजों के आधार पर उसकी पहचान की पुष्टि करके उसे लाभ दिया जाएगा, और ऐसे अन्य दस्तावेजों के आधार पर लाभ दिए जाने पर, उसे दर्ज करने के लिए एक अलग रजिस्टर रखा जाएगा, जिसकी मंत्रालय द्वारा अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से समय-समय पर समीक्षा और लेखापरीक्षा की जाएगी।

7. यह सुनिश्चित करने के लिए कि स्कीम के तहत कोई भी वास्तविक लाभार्थी (बच्चों के अलावा) उन्हें देय लाभों से वंचित नहीं है, मंत्रालय अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण मिशन, मंत्रिमंडल सचिवालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन सं. डी-26011/04/2017-डीबीटी, दिनांक 19 दिसंबर, 2017 (https://dbtbharat.gov.in पर उपलब्ध) में निर्दिष्ट अपवाद प्रबंधन तंत्र का पालन करेगा।

[फा. सं. 30/30/2022-सी डब्ल्यू-II]

श्रीमति इंद्रा मालो, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th April, 2023

S.O. 1694(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly to them in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Ministry of Women and Child Development (hereinafter referred to as the Ministry) in the Government of India, is administering the Centrally Sponsored Scheme, Mission Vatsalya Scheme erstwhile Child Protection Services Scheme (hereinafter referred to as the Scheme) with an objective to create safety net of service delivery structures at National, State and District level for the children as acknowledged in the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015(2 of 2016) and also for providing rehabilitation and social re-integration of children, through institutional and non-institutional care, which is being implemented through the State Government or Union territories (hereinafter referred to as the Implementing Agency);

And whereas, under the Scheme provides services which, *inter-alia*, include benefits that are either in cash which includes salary of staff or in kind like placement of children in need of care and protection for their care, treatment, nutrition, clothing, bedding, daily needs, entertainment and the like (hereinafter referred to as the benefits) to the children who fall within the ambit of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (2 of 2016) (hereinafter referred to as the beneficiaries), by the Implementing Agency as per the Scheme and the extant guidelines issued thereunder;

And whereas, the implementation of the Scheme involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) and in suppression of the Notification number S.O.620(E), dated 23rd February, 2017 (Salary of staff), Notification number S.O. 6110 (E) dated 11th December, 2018 (Sponsorship) and Notification number S.O.6110(E) 11th December, 2018 (In Kind) of erstwhile Child Protection Services Scheme, except as respects things done or omitted to be done before such suppression the Central Government hereby notifies the following, namely: -

1. an individual desirous of availing the benefit under the Scheme shall be required to furnish proof of possession of the Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.
2. any individual desirous of availing the benefit under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or has not yet enrolled for Aadhaar, shall be required to make application for Aadhaar enrolment subject to the consent of his parents or guardians (in case of child beneficiaries), provided he is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act and such children shall visit any Aadhaar enrolment centre (list available at Unique Identification Authority of India **website www.uidai.gov.in**) to get enrolled for Aadhaar.
3. as per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Ministry through its Implementing Agency, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Ministry or Department through its Implementing Agency shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of Unique Identification Authority of India or by becoming Unique Identification Authority of India Registrar themselves:

   Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, the benefit under the Scheme shall be given to such individuals, subject to production of the following documents, namely: -

   I. For children below the age of Eighteen years :

      (a) (i) if the beneficiary was enrolled after the age of five years (with biometrics collection), his Aadhaar Enrolment Identification slip, or of bio-metric update identification slip, or;

      (ii) a copy of the request made for Aadhaar enrolment by the beneficiary; and

      (b) any one of the following identity documents of the beneficiary, namely:-

      (i) Birth Certificate or record of birth issued by the appropriate authority; or

      (ii) School identity card, duly signed by the Principal of the school, containing parents names; and

      (c) any one of the following documents as proof of relationship of the beneficiary with the parent or legal guardian as per the extant Scheme guidelines, namely: –

i. Birth Certificate or record of birth issued by the appropriate authority; or

ii. Ration Card; or

iii. Ex-Servicemen Contributory Health Scheme Card; or Employees' State Insurance Corporation Card; or Central Government Health Scheme Card; or

iv. Pension Card; or

v. Army Canteen Card; or

vi. any Government Family Entitlement Card; or

vii. any other document as specified by the Ministry:

II. For beneficiaries above the age of eighteen years :

(a) if he has enrolled, his Aadhaar Enrolment Identification slip; **and**

(b) any one of the following documents, namely :-

i. Bank or Post office Passbook with Photo; or

ii. Permanent Account Number Card; or

iii. Passport; or

iv. Ration Card; or

v. Voter Identity Card; or

vi. Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005 card; or

vii. Kisan Photo passbook; or

viii. Driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or

ix. certificate of identity having photo of such person issued by a Gazetted Officer or a Tehsildar on an official letter head; or

x. any other document as specified by the Ministry:

Provided further that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by the Ministry for that purpose.

(4) In order to provide benefits to the beneficiaries under the Scheme conveniently and the Ministry through its Implementing Agency shall make all the required arrangements to ensure that wide publicity through media shall be given to the beneficiaries to make them aware of requirement of Aadhaar under the Scheme.

(5) Where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the beneficiaries or due to any other reason and the following remedial mechanisms shall be adopted, namely:-

a. in case of poor fingerprint quality, iris scan or face authentication facility shall be adopted for authentication and the Ministry through its Implementing Agency shall make provisions for iris scanners or face authentication along with finger print authentication for delivery of benefits in seamless manner;

b. in case the biometric authentication through fingerprints or iris scan or face authentication is not successful, wherever feasible and admissible authentication by Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password with limited time validity, as the case may be, shall be offered;

c. in all other cases where biometric or Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password authentication is not possible, benefits under the Scheme may be given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the Quick Response code printed on the Aadhaar letter and the necessary arrangement of Quick Response code reader shall be provided at the convenient locations by the Ministry through its Implementing Agency.

(6) Notwithstanding anything contained herein above, no child shall be denied benefit under the Scheme in case of failure to establish his identity by undergoing authentication, or furnishing proof of possession of Aadhaar number, or in the case of a child to whom no Aadhaar number has been assigned, producing an application for enrolment, the benefit shall be given to him by verifying his identity on the basis of other documents as provided under clauses (b) and (c) of sub-paragraph 1 of Paragraph 3 and where benefit is given on the basis of such other documents, a separate register shall be maintained to record the same, which shall be reviewed and audited periodically by the Ministry through its Implementing Agency.

(7) In order to ensure that no bona fide beneficiary (other than children) under the Scheme is deprived of his due benefits, the Ministry through its Implementing Agency shall follow the exception handling mechanism as specified in the Office Memorandum of Direct Benefit Transfer Mission, Cabinet Secretariat, Government of India no. D-26011/04/2017-DBT, dated the 19th December 2017 (available on https://dbtbharat.gov.in/).

[F. No. 30/30/2022-CW-II]

Mrs. INDRA MALLO, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2023.04.11 21:49:24 +05'30'